फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री बंशीलाल पिता डालचन्द कुमावत निवासी ऑवलहेड़ा मु. पो. ऑवलहेडा वाया बस्सी, तहसील चित्तौड़गढ़–312022

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रकरण संख्या 30/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.03.2018	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्री बंशीलाल पिता डालचन्द कुमावत मु. पो. ऑवलहेड़ा वाया बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 22.12.2017 को प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.12.2017 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में दिनांक 22.01.2018 तक लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की अवधि के भीतर दिनांक 22.02.2018 तक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के लगभग 01 माह पश्चात् दिनांक 20.03.2018 को अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।	